रजिस्ट्री सं० डी०—(डीएन)—128/91 REGISTERED NO. D—(DN)—128/91

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 45] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 9, 1991 (कार्तिक 18, 1913)
No. 45] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 9, 1991 (KARTIKA 18, 1913)

(इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके)
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधियों, नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	817
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1409
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	9
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1677
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खण्ड 1—क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी अधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल निकाय और भारत सरकार से संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	997
भाग III—खण्ड 2—पेटेन्ट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस	1221
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अन्य द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	*
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	3063
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	149
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों, को दर्शाने वाला असाधारण	*

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	837
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1409
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence . .	9
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1677
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative texts in Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills . .	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India, (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, Published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India (of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administration of Union Territories) . .	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence .	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India . .	997
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	1221
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	3663
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies .	149
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi .	*

* Folio Nos not received.

भाग I—खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 22 अक्तूबर, 1991

सं० 112—प्रेज/91—राष्ट्रपति, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को अग्निशमन सेवा पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री ए० एन० पी० सिंह, हैड कान्स्टेबल (मरणोपरान्त)

श्री ए० पी० साबू, हैड-कान्स्टेबल/ड्राइवर (मरणोपरान्त)

श्री जे० ए० वल्लु, कान्स्टेबल (मरणोपरान्त)

श्री जैड० जी० सिंह, कान्स्टेबल (मरणोपरान्त)

श्री डब्ल्यू० टी० चावड़े, कान्स्टेबल (मरणोपरान्त)

श्री पुष्पेन्द्र सिंह, कान्स्टेबल (मरणोपरान्त)

श्री पी० के० नायक, कान्स्टेबल (मरणोपरान्त)

श्री पंचानन बेहेरा कान्स्टेबल (मरणोपरान्त)

श्री आर० एम० यादव, कान्स्टेबल (मरणोपरान्त)

श्री दिलीप सिंह ठाकुर, सब-इन्सपेक्टर

श्री जे० के० बोसिया, सब-इन्सपेक्टर

श्री के० आर० भाई, कान्स्टेबल

सेवाओं का विवरण जिसके लिए पदक प्रदान किया गया

8 नवम्बर 1990 को करीब 19.00 बजे एम० जी० सी० सी०, बगोथाने स्थित केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यूनिट के गैस क्रेकर प्लान्ट के इर्द-गिर्द अति ज्वलनशील हाइड्रोजन गैस का बादल छा गया था जिसके परिणाम स्वरूप एक भयंकर विस्फोट हुआ और बाद में विनाशकारी आग लग गई जिसकी चपेट में सम्पूर्ण गैस क्रेकर प्लान्ट आ गया। उपर्युक्त अधिकारियों द्वारा प्रदर्शित साहसपूर्ण कार्यवाई का विवरण इस प्रकार है, —

श्री ए० एन० पी० सिंह, हैड कान्स्टेबल

घटना के दिन हैड कान्स्टेबल ए० एन० पी० सिंह की ड्यूटी उपर्युक्त केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यूनिट "बी" में पाली में लगाई गई थी। करीब 1908 बजे उन्होंने अपनी यूनिट की आग बुझाने वाली एक गाड़ी को गैस क्रेकर प्लान्ट की तरफ जाते हुए देखा। कोई विपत्ति की होने की आशंका भानकर वह उस स्थान की तरफ भागे। उन्होंने पाया कि अति ज्वलनशील गैस ने सम्पूर्ण क्षेत्र को घेर रखा है। बिना भी विचलित हुए बिना हैड कान्स्टेबल ए० एन० पी० सिंह अग्निशमन दल के पास पहुंच गए जो आग बुझाने वाली गाड़ी को गैस के रिसाव पर काबू पाने के लिए सक्रिय करने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने फटे हुए उस हिस्से, जहां से गैस का रिसाव हो रहा था, की मरम्मत करने का भी प्रयास किया। जैसे ही वह दुर्घटना पर काबू पाने का प्रयास कर रहे थे सभी सम्पूर्ण क्षेत्र में बहुत तेज धमाका हुआ और इसके साथ विनाशकारी आग लग गई। हैड कान्स्टेबल ए० एन० पी० सिंह पूर्णतया आग में घिर गए और इस प्रकार उन्होंने अपने जीवन का बलिदान कर दिया। अपने इस सर्वोच्च बलिदान एवं असाधारण साहस से उन्होंने कर्तव्य के प्रति उच्चतम कोटि की निष्ठा का उदाहरण प्रस्तुत किया।

श्री ए० पी० साबू (ड्राइवर), हैड कान्स्टेबल

हैड कान्स्टेबल ए० पी० साबू की घटना के दिन "बी" पाली में ड्यूटी लगाई गई थी। लगभग 1906 बजे उन्होंने एक आग बुझाने वाली गाड़ी को गैस क्रेकर प्लान्ट की तरफ जाते देखा। कोई विपत्ति होने की आशंका को देखते हुए वह उस स्थान की ओर भागे और आग बुझाने वाले दल के कार्य में शामिल हो गये। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि गैस क्रेकर प्लान्ट के इर्द गिर्द अति ज्वलनशील हाइड्रोजन गैस के बादल छा गए हैं। जरा भी विचलित हुए बिना हैड कान्स्टेबल ए० पी० साबू पाईप में रिसाव को रोकने का प्रयत्न करने वाले अन्य अग्निशमन दल के सदस्यों में शामिल हो गए। अचानक उस स्थान पर एक बहुत भयानक विस्फोट हुआ और उसके पश्चात भयंकर आग ने सम्पूर्ण क्रेकर

प्लान्ट को घेर लिया। हैड कान्स्टेबल ए० पी० साबू पूर्णतया आग की लपटों में घिर गए और अपने कर्तव्य का निष्पादन करते हुए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी।

श्री जे० ए० दत्तु, कान्स्टेबल

घटना के दिन कान्स्टेबल जे० ए० दत्तु की ड्यूटी केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा यूनिट बल की "बी" पाली में थी। लगभग 1906 बजे उन्होंने अपनी यूनिट की एक अग्निशमन गाड़ी को गैस कोकर प्लान्ट की तरफ जाते हुए देखा। कोई आकस्मिक संकट समझते हुए, वह गैस कोकर प्लान्ट की तरफ दौड़े। वहां पहुंचने पर उन्होंने अति ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन गैस के बादल को देखा जो सम्पूर्ण क्षेत्र में फैल गया था और फटे हुए पाइप से गैस का रिसाव हो रहा था। जब वह अपने सहकर्मियों के साथ बचाव कार्य में लगे हुए थे तो एक भयंकर विस्फोट हुआ और उसके बाद विनाशकारी आग ने सम्पूर्ण क्षेत्र को अपने घेरे में ले लिया। कान्स्टेबल जे० ए० दत्तु कर्तव्य निभाते हुए जिन्दा जल गए। कान्स्टेबल जे० ए० दत्तु द्वारा कर्तव्य के प्रति प्रदर्शित निष्ठा के परिणामस्वरूप औद्योगिक संयंत्र के अनगिनत लोगों की जान बच सकी।

श्री जैड० बी० सिंह, कान्स्टेबल

घटना के दिन कान्स्टेबल जैड० बी० सिंह की केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के अग्निशमन केन्द्र में "बी" पाली में ड्यूटी लगी हुई थी। लगभग 1905 बजे उन्हें गैस कोकर प्लान्ट के करीब गैस के रिसाव की सूचना मिली। वह आग बुझाने वाली गाड़ी पर सवार हुए और तेजी से घटनास्थल पर पहुंचे। वहां पहुंचने पर उन्होंने गैस के रिसाव पर काबू पाने के लिए ड्रिल शुरू कर दी। अचानक वहां जोर का धमाका हुआ जिसके पश्चात बहुत बड़ी आग ने सम्पूर्ण क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। इस आग में झुलस कर कान्स्टेबल जैड० बी० सिंह की मृत्यु हो गयी। उन्होंने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देकर औद्योगिक प्लान्ट के सैकड़ों लोगों की जान बचाई।

श्री डब्ल्यू० टी० वावड़े, कान्स्टेबल

घटना के दिन कान्स्टेबल डब्ल्यू० टी० वावड़े की ड्यूटी केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यूनिट के अग्निशमन केन्द्र में "बी" पाली में लगाई गई थी। लगभग 1905 बजे गैस रिसाव की सूचना मिलने पर कान्स्टेबल डब्ल्यू० टी० वावड़े ने अग्निशमन वाहन की कमान संभाल ली और गैस कोकर प्लान्ट की तरफ चलने का आदेश दिया। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि सम्पूर्ण क्षेत्र अति ज्वलनशील गैस के बादल से घिर गया है। कान्स्टेबल वावड़े ने प्लान्ट के एक फटे हुए हिस्से से गैस के रिसाव पर काबू पाने के लिए अग्निशमन वाहन को चालू करने का प्रयास किया। अचानक भयंकर विस्फोट होने और क्षेत्र में विनाशकारी आग के फैल जाने से उत्पन्न खतरे की परवाह किए बिना कान्स्टेबल जैड० वावड़े ने आपातकालीन ड्रिल शुरू कर दिया। जब कान्स्टेबल वावड़े अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे थे तो आग की लपटों में घिर कर जल जाने से उनकी मृत्यु हो गई। अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान कर कान्स्टेबल वावड़े ने बहादुरी के कार्य एवं कर्तव्य के प्रति उच्च निष्ठा का प्रदर्शन किया।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह, कान्स्टेबल

घटना के दिन कान्स्टेबल पुष्पेन्द्र सिंह की ड्यूटी केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के अग्निशमन केन्द्र में "बी" पाली में थी। लगभग 1905 बजे नियंत्रण कक्ष को गैस के रिसाव की सूचना प्राप्त हुई और कान्स्टेबल पुष्पेन्द्र सिंह अग्निशमन दल के साथ अग्निशमन वाहन सहित तेजी से गैस कोकर प्लान्ट की तरफ गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि सम्पूर्ण क्षेत्र को अति-ज्वलनशील गैस के बादल ने घेर रखा है। भयंकर खतरे की परवाह किए बिना आग बुझाने के लिए फायरटैंडर को चालू करने लगे। अचानक वहां जोर का विस्फोट हुआ और भयंकर आग लग गई। अपने कर्तव्य का निष्पादन करते हुए आग में जल जाने से कान्स्टेबल पुष्पेन्द्र की मृत्यु हो गई। गैस के रिसाव को रोकने के उनके प्रयासों से एक बड़ी औद्योगिक विपत्ति को टालने में मदद मिली जिससे प्लान्ट में काम करने वाले व्यक्तियों की जान बचायी जा सकी। अपने इस सर्वोच्च बलिदान से कान्स्टेबल पुष्पेन्द्र सिंह ने कर्तव्य के प्रति निष्ठा की शानदार परम्परा का परिचय दिया।

श्री पी. के. नायक, कान्स्टेबल

घटना के दिन कान्स्टेबल पी. के. नायक की ड्यूटी केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यूनिट की "बी" पाली में थी। लगभग 1906 बजे उन्होंने केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के अग्निशमन वाहन को गैस कोकर प्लान्ट की तरफ जाते देखा। किसी आपात-स्थिति की आशंका होने पर वह उसी दिशा की तरफ भागे। वहां पहुंचने पर वे अग्निशमन दल के साथ मिल गए और अग्निशमन कार्य में सहायता करने लगे। आपात कार्य में जब वह अपने सह-कर्मियों की सहायता कर रहे थे तो एक जोरदार धमाका हुआ और उसके बाद भयंकर आग लग गई। कान्स्टेबल नायक की आग में जल कर तत्काल मृत्यु हो गयी। उन्होंने एक बड़ी विपत्ति पर काबू पाने में अपने प्राणों की आहुति दे दी अन्यथा प्लान्ट के सैकड़ों कर्मचारियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता।

श्री पंचानन बेहेरा, कान्स्टेबल

घटना के दिन कान्स्टेबल पंचानन बेहेरा की ड्यूटी केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यूनिट की "बी" पाली में थी। लगभग 1906 बजे उन्होंने केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यूनिट के अग्निशमन वाहन को गैस कोकर प्लान्ट की तरफ जाते देखा। विपत्ति जान कर वह उस स्थान की तरफ दौड़े जहां अग्निशमन सेवा दल ने आपातकालीन आपरेशन की घोषणा कर दी थी। उन्होंने सम्पूर्ण क्षेत्र को अति ज्वलनशील गैस के बादलों से घिरा पाया। अपनी जान के जोखिम को पूरी तरह से जानते हुए भी वह गैस के रिसाव को रोकने के लिए अग्निशमन दल के हाथ बटाने लगे। तभी एक जोर का विस्फोट हुआ और उसके बाद भयंकर आग ने सम्पूर्ण क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। कान्स्टेबल पंचानन बेहेरा अपने

कर्तव्य का पालन करते हुए आग में जिन्दा जल गए। कान्स्टेबल चेतुआ द्वारा प्रदर्शित असाधारण साहस और कर्तव्य के प्रति अत्याधिक निष्ठा ने उन्हें एक अनुकरणीय आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया है।

श्री आर० एस० यादव, कान्स्टेबल

घटना के दिन कान्स्टेबल आर० एस० यादव की तैनाती केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यूनिट के अग्निशमन केन्द्र में की गई थी। लगभग 1905 बजे अग्निशमन केन्द्र के नियंत्रण कक्ष को गैस कोकर प्लान्ट से गैस के रिसाव की सूचना प्राप्त हुई। कान्स्टेबल यादव अपने ग्रुप में शामिल हो गए और अग्निशमन वाहन को घटना स्थल पर ले गए। घटना स्थल पर पहुंच कर उन्होंने देखा कि एक अति-ज्वलनशील गैस का बादल सम्पूर्ण क्षेत्र पर छाया हुआ है। अत्याधिक खतरे की परवाह न करते हुए, कान्स्टेबल यादव ने फायर टेंडर को चालू करने में अपनी सहकर्मियों की सहायता की। उस आपरेशन के दौरान एक जोरदार विस्फोट हुआ जिससे भयंकर आग ने सम्पूर्ण क्षेत्र को घेर लिया। कान्स्टेबल आर० एस० यादव अपने कर्तव्य का पालन करते हुए आग में जलकर वीरगति को प्राप्त हो गए। कान्स्टेबल यादव ने बचाव कार्य करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इस प्रकार उन्होंने उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

श्री दिलीप सिंह ठाकुर सब-इन्सपेक्टर और श्री जे० के० बोलिया, सब-इन्सपेक्टर

घटना के दिन सर्वश्री दिलीप सिंह ठाकुर और श्री जे० के० बोलिया केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यूनिट के नियंत्रण कक्ष में ड्यूटी पर थे। 1906 बजे के लगभग उन्होंने प्लान्ट की तरफ से एक जोरदार विस्फोट की आवाज सुनी। जब वे भवन से बाहर आए तो उन्होंने आग के गोले को गैस कोकर प्लान्ट क्षेत्र से बाहर उठते हुए देखा। विपत्ति समझकर उन्होंने सामान्य अलर्ट का आह्वान किया और अपने सहकर्मियों को तुरन्त ड्यूटी पर आ जाने के लिए कहा। उन दोनों ने आग का मुकाबला करने के लिए ड्यूटी पर तैनात केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्टाफ को संगठित किया। जब वे इस कार्य में जुटे हुए थे तो उन्होंने देखा कि एथिलीन स्टोरेज टैंक की छत से अचानक आग की लपटें उठने लगी थी। दोनों अधिकारियों ने अग्निशमन वाहन के भंडार से "रक्षात्मक वस्त्र" निकाल लिए और एथिलीन स्टोरेज टैंक की तरफ दौड़ पड़े। वे आग की लपटों तक पहुंचने के प्रयास में टैंक की सीढ़ियों पर दौड़कर चढ़ने लगे। सीढ़ियों पर चढ़ते समय उन्होंने पाया कि आग की लपटें वास्तव में मलवा थी जो भयंकर विस्फोट के उपरान्त टैंक पर आ पड़ा था। अपनी सुरक्षा की तनिक भी परवाह किए बिना, वे दोनों आग में जलते हुए मलबे तक पहुंच गए और इसे टैंक की छत से दूर फेंक दिया और अन्त में मलबे को उस स्थान से दूर हटा दिया। एस० आई० डी० एस० ठाकुर तथा एस० आई० बोलिया ने जो खतरा मोल लिया उसमें टैंक पर विस्फोट होने से निश्चित रूप से कुछ लोगों की जान जा सकती थी। उनका यह कार्य निश्चित रूप से बहादुरी एवं कर्तव्य के प्रति समर्पण की भावना से ओतप्रोत था। इन अधिकारियों ने विषम परिस्थिति में सूझबूझ का परिचय दिया और अपने साहसपूर्ण कार्य से अनेकों लोगों की जान बचा दी।

श्री के० आर० भाई, कान्स्टेबल

जब 1905 बजे गैस कोकर प्लान्ट में गैस के रिसाव की सूचना प्राप्त हुई, उस समय श्री के० आर० भाई, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यूनिट के नियंत्रण कक्ष में ड्यूटी पर थे। सूचना प्राप्त होने पर कान्स्टेबल के० आर० भाई अपने अग्निशमन दल के साथ अग्निशमन वाहन को लेकर घटना स्थल पर पहुंचे। खतरे की कोई परवाह किये बगैर, उन्होंने आपात आपरेशन शुरू कर दिया और अपने सहकर्मियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए गैस रिसाव पर नियंत्रण पाने का प्रयास किया। अचानक एक जोरदार विस्फोट हुआ और उसके बाद भयंकर आग लग गई जिसने सम्पूर्ण क्षेत्र को अपने चपेट में ले लिया। विस्फोट ने श्री के० आर० भाई को गैस क्षेत्र से बाहर फेंक दिया। विस्फोट से कान्स्टेबल के० आर० भाई हिल गए थे। वह उठे और पुनः उसी क्षेत्र की तरफ बढ़ने लगे ताकि विनाशकारी आग पर काबू पाया जा सके, परन्तु वे मूर्छित होकर गिर पड़े। कान्स्टेबल के० आर० भाई ने अत्यन्त खतरनाक परिस्थिति में भी अनुकरणीय साहस और दृढ़ निश्चय का परिचय दिया। इस प्रकार उन्होंने दुर्लभ कर्तव्य परायणता का उदाहरण प्रस्तुत किया।

ये पदक अग्निशमन सेवा पदक के नियम 3(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 (क) के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 5 नवम्बर, 1990 से दिया जाएगा।

ए० के० उपाध्याय, निदेशक

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 9 अक्तूबर, 1991

संकल्प

सं० 6/1/91-डी०ई०पी०जेड० —भारत सरकार ने निर्यात संसाधन क्षेत्रों के विकास के लिए वैकल्पिक मॉडल की जांच करने के लिए एक समिति गठित करने का विनिश्चय किया है।

2. गठन

समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे :—

1. डा० वी० कृष्णामूर्ति, सदस्य योजना आयोग — अध्यक्ष
2. अध्यक्ष, एग्जिम बैंक — सदस्य
3. डा० राजीव कुमार, वरिष्ठ सलाहकार बी० आई० सी० पी० — सदस्य
4. श्री एस० एम० दत्ता, अध्यक्ष हिन्दुस्तान लीवर — सदस्य
5. फिक्की का प्रतिनिधि — सदस्य
6. एसोचेम का प्रतिनिधि — सदस्य
7. इंजीनियरी उद्योग परिसंघ का प्रतिनिधि — सदस्य
8. श्री प्रेम कुमार, विकास आयुक्त, सांताक्रुज इलेक्ट्रानिकी निर्यात संसाधन क्षेत्र, बम्बई — सदस्य
9. श्री के० एस० सिंह, संयुक्त सचिव, वाणिज्य मंत्रालय — सदस्य-सचिव

3. कार्य :

समिति का कार्य निर्यात संसाधन क्षेत्रों के विकास के लिए वैकल्पिक मॉडल की जांच करना तथा सुझाव देना है।

4. कार्यकाल :

समिति का कार्यकाल यह संकल्प जारी होने की तारीख से 3 महीने का होगा।

5. सामान्य :

समिति अतिरिक्त सदस्यों को सहयोजित कर सकती है और अपनी बैठकों में भाग लेने के लिए विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकती है अथवा आवश्यकता पड़ने पर उप समिति नियुक्त कर सकती है।

6. यात्रा तथा अन्य भत्ते :

गैर सरकारी सदस्यों को वाणिज्य मंत्रालय द्वारा समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए भारत सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित दरों पर यात्रा तथा दैनिक भत्तों का भुगतान किया जाएगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मंत्री के कार्यालय, योजना आयोग तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सामान्य जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

जवाहर सरकार, निदेशक

औद्योगिक विकास विभाग

(तकनीकी विकास महानिदेशालय)

नई दिल्ली, दिनांक 11 अक्तूबर 1991

संकल्प

सं० सी०पी०/9/1/90—दिनांक 8 जून 1989 को कार्बन और ग्रेफाइट प्रोडक्ट्स उद्योग के लिए पुनर्गठित संकल्प सं० सी० पी०/9(7)/86/सी० पी० के पुनर्विलोकन करने पर भारत सरकार ने इस विकास नामिका को इस संकल्प के जारी होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए निम्नानुसार गठन करने का निर्णय लिया है :—

1. श्री जी० ए० मनोहर, मै० ग्रेफाइट इंडिया लि०, 31, चौरंगी रोड, कलकत्ता-700016 — अध्यक्ष
2. श्री एम० के० बसाक, औद्योगिक सलाहकार, प्रभारी त० वि० म० नि०, नई दिल्ली — सदस्य
3. श्री पी० सी० गोयनका, मै० इंडियन एल्युमिनियम कं० लि०, 6, मिडिलटन स्ट्रीट, कलकत्ता-700071 — सदस्य
4. श्री के० रामचन्द्रन, मै० इंडियन एल्युमिनियम कं० लि०, 6, मिडिलटन स्ट्रीट, कलकत्ता-700071 — सदस्य

5. श्री सी०पी० जोशी — सदस्य
मै० इंडियन आयल कार्पो० लि०,
252, डा० एनी बीसेंट रोड,
प्रभा देवी, बम्बई—400025

6. श्री आर० जी० रामचन्द्रिया — सदस्य
मै०, पेट्रो कार्बन एंड केमीकल्स कं० लि०,
कलकत्ता—700071

7. श्री श्रीकुल रेड्डी — सदस्य
मै० इंडो मतसुबीशी कार्बन कं० लि०,
609, माउंट रोड, मद्रास—600006

8. श्री बी०एस० चौधरी — सदस्य
मै० हिन्दुस्तान एल्यूमिनियम कार्पो० लि०,
पी०ओ० रेनुकूट, मिर्जापुर (यू० पी०)

9. श्री राज कुमार — सदस्य
विकास आयुक्त (लघु उद्योग)
निर्माण भवन, नई दिल्ली।

10. श्री एम०वी०एस० प्रकाश राव — सदस्य
सचिव
अखिल भारतीय ग्रेफाइट क्रूसीबल्स निर्माता
संगठन,
राजामुन्द्री (आ० प्र०)

11. श्री केशव चन्द्र, प्रमुख — सदस्य
फासफोरस सैक्शन
भाभा एटामिक रिसर्च सैन्टर,
बम्बई—85

12. श्री आर०एल० सेठ/डा० ओ०पी० बहल — सदस्य
कार्बन टैक्नालाजी यूनिट,
डा० के०एस० कृष्ण रोड,
नई दिल्ली—110012

13. श्री रविकुमारझुनझुनवाला — सदस्य
मै० हिन्दुस्तान इलैक्ट्रो ग्रेफाइट लि०,
40—41, कम्यूनिटी सैंटर
न्यू फ्रैंड्स कालोनी,
नई दिल्ली—110065

14. श्री हिम्मत सिंघका — सदस्य
मै० इंडिया कार्बन लि०,
टैम्पल चैम्बर्स,
6, ओल्ड पोस्ट आफिस स्ट्रीट
कलकत्ता—700001

15. श्री जे० के० बजाज, — सदस्य
मै० डायमंड कार्बन एण्ड ग्रेफाइट प्राडक्टस लि०,
64, शहीद भगत सिंह रोड, फोर्ट
बम्बई—400023

16. श्री ई०एन० मूर्ति — सदस्य
उद्योग मंत्रालय (इलैक्ट्रीकल उद्योग अनुभाग)

17. श्री डब्ल्यू० एम० डिसूजा — सदस्य
अध्यक्ष
गोआ कार्बन लि०, डैम्पो हाऊस
कैम्पैल, पंजीम, गोवा—403001

18. श्री एन० वैंकटारामाणी — सदस्य
उपाध्यक्ष (व्यवसायिक)
कार्बन कार्पो० लि०, बखतावर, दूसरा तल,
नरीमन प्वाइंट, बम्बई—400021

19. श्री पी०के० माना — सदस्य
कार्यपालक निदेशक,
केमिकल्स एंड एलाइड प्राडक्टस एक्सपोर्ट
प्रोमोशन काउंसिल,
वर्ल्ड ट्रेड सैंटर
14/1 बी, इजरा स्ट्रीट,
कलकत्ता—700001

20. श्री सी० के० कर, — सदस्य
मुख्य (मार्किटिंग)
2, फेयरलाई प्लेस,
कलकत्ता—700001

21. डा० डी०एम० भट्ट, — सदस्य
वैज्ञानिक "ई"
प्रतिनिधि सैन्ट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीच्यूट
पी० ओ० एफ० आर० आई०—828108
धनबाद (बिहार)

22. श्री पी०के० जैन — सदस्य सचिव
विकास अधिकारी
त० वि० म० नि०, नई दिल्ली।

नामिका के विचारार्थ विषय निम्न प्रकार से होंगे :—

1. उद्योग के विकास की वर्तमान अवस्था पर विचार करना एवं उसके शीघ्र विकास के लिये उपायों के बारे में सुझाव देना।

2. उद्योग की विभिन्न आवश्यकताओं का राज्यवार/क्षेत्रवार अध्ययन करना तथा बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये और अधिक क्षमता उत्पन्न करने के बारे में सुझाव देना।

3. उत्पाद के किस्म तथा प्रौद्योगिकी के उन्नयन सहित भावी प्रौद्योगिकीय आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाना।

4. विभिन्न संस्थानों में उपलब्ध अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं की सहायता देना।

5. जिस सीमा तक मानकीकरण कर लिया गया है उसकी जांच करना तथा भारतीय मानक संस्थान के परामर्श से और अधिक मानकीकरण में विशिष्ट कार्यक्रमों को प्रस्तुत करना।

6. कच्चे माल तथा ऊर्जा निवेशन की आवश्यकता एवं उनके संरक्षण/प्रतिस्थापन पर विचार करना।

7. देशी और आयातित दोनों प्रकार की मशीनरी आदि की आवश्यकताओं पर विचार करना।

8. वर्तमान एककों का आधुनिकीकरण करना।

9. आयात प्रतिस्थापन/निर्यात संवर्धन।

10. तकनीकी कर्मचारियों की आवश्यकता और उनको प्रशिक्षण देना।

11. उद्योग में कार्य के स्थान तथा वातावरण में अपनाए गए प्रदूषण के उपायों की समीक्षा करना।

12. कोई अन्य उपयुक्त विषय।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी संबंधितों को दे दी जाए। यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में सामान्य सूचना के लिए प्रकाशित किया जाए।

मदन मोहन
निदेशक (प्रशासन)

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 4 अक्तूबर 1991

सं० 1/9/89-समिति—दिनांक 28 अगस्त, 1990 की अधिसूचना सं० 1/9/89-समिति के क्रम में जन-सामान्य के लिए अधिसूचित किया जाता है कि सोसायटी पंजीकरण अधिनियम (1860 का XXI) के अंतर्गत औद्योगिक विकास विभाग, नई दिल्ली के सचिव श्री सुरेश माथुर को सीएसआईआर सोसायटी में शेष तीन वर्ष की अवधि के लिए अर्थात 19-8-1993 तक पदेन-सदस्य के रूप में सम्मिलित कर लिया गया है।

एस० के० जोशी
सचिव,
वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग एवं
महानिदेशक वैज्ञानिक तथा औद्योगिक
अनुसंधान परिषद्

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 14 अक्तूबर 1991

सं० फा० 10-3-91-सांख्यिकी—भारत सरकार निम्नलिखित सदस्यों के साथ 1 जनवरी, 1990 से स्थायी शैक्षिक सांख्यिकी समिति का पुनर्गठन करती है :

1. संयुक्त सचिव (आयोजना) — अध्यक्ष
शिक्षा विभाग
मानव संसाधन विकास मंत्रालय

2. संयुक्त सचिव (विश्वविद्यालय) — सदस्य
शिक्षा विभाग
मानव संसाधन विकास मंत्रालय

3. संयुक्त सचिव (स्कूल) — सदस्य
शिक्षा विभाग
मानव संसाधन विकास मंत्रालय

4. संयुक्त शिक्षा सलाहकार (टी०ई०) — सदस्य
शिक्षा विभाग
मानव संसाधन विकास मंत्रालय

5. संयुक्त सचिव (प्रौढ़ शिक्षा) — सदस्य
शिक्षा विभाग
मानव संसाधन विकास मंत्रालय

6. निदेशक, एन० आई० ई० पी० ए०, — सदस्य
17 बी, श्री अरविन्द मार्ग,
नई दिल्ली।

7. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। — सदस्य

8. सलाहकार (अनुसन्धान) — सदस्य
प्रयुक्त मानव शक्ति अनुसंधान संस्थान।

9. शिक्षा सचिव, — सदस्य
असम सरकार

10. शिक्षा सचिव — सदस्य
कर्नाटक सरकार

11. शिक्षा सचिव — सदस्य
पंजाब सरकार

12. प्रतिनिधि — सदस्य
योजना आयोग,
नई दिल्ली

13. उप-शिक्षा सलाहकार (आयोजना) — सदस्य
शिक्षा विभाग
मानव संसाधन विकास मंत्रालय

14. निदेशक (तकनीकी) — सदस्य
शिक्षा विभाग
मानव संसाधन विकास मंत्रालय

15. संयुक्त निदेशक, — सदस्य
रा० शै० अ० प्र० परि०
श्री अरविन्द मार्ग, नई दिल्ली।

16. निदेशक, एन० आई० ई० पी० ए० — सदस्य
17 बी, श्री अरविन्द मार्ग,
नई दिल्ली।

17. संयुक्त निदेशक — सदस्य
केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन

18. डा० ब्रह्म प्रकाश, — सदस्य
सीनियर फैलो
एन० आई० ई० पी० ए०, 17 बी०
श्री अरविन्द मार्ग, नई दिल्ली।

19. अतिरिक्त निदेशक — सदस्य
राष्ट्रीय सूचना केन्द्र

20. शिक्षा निदेशक (स्कूल) — सदस्य
उ० प्र० सरकार

21. शिक्षा निदेशक — सदस्य
तमिलनाडु सरकार

22. शिक्षा निदेशक (स्कूल) — सदस्य
गुजरात

23. प्रो० पी० के० बोस, निदेशक — गैर-सरकारी सदस्य
संसाधन कार्मिक विकास संस्थान
विश्वविद्यालय विज्ञान कालेज,
कलकत्ता

24. डा० एम० बी० बुच — गैर-सरकारी सदस्य
प्रधान संपादक,
शिक्षा में अनुसंधान का चौथा सर्वेक्षण, 46, सूरी नगर गोत्री रोड, बड़ौदा।

25. डा० एम० के० प्रेमी, प्रोफेसर — गैर सरकारी सदस्य
क्षेत्रीय विकास अध्ययन केन्द्र,
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय
नई दिल्ली।

26. उप निदेशक (सांख्यिकी) — सदस्य सचिव
शिक्षा विभाग
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
नई दिल्ली

2. पुनर्गठित स्थायी समिति के कार्य इस प्रकार होंगे :—

(क) मंत्रालय द्वारा समय-समय पर शैक्षिक आंकड़े एकत्र करने की प्रगति की समीक्षा करना और शैक्षिक आंकड़े एकत्र करने और शैक्षिक आंकड़ों के प्रकाशन में लगने वाले समय को कम करने के तरीकों के संबंध में सुझाव देना और अनुमोदन करना।

(ख) मंत्रालय द्वारा शुरू किये जाने वाले विषय–सम्मुख अध्ययनों और आवधिक अध्ययनों के लिये विषयों और प्रणाली विज्ञान का सुझाव देना और अनुमोदन करना।

(ग) ऐसी मदों की सूची का सुझाव देना जिन पर आवधिक आधार पर आंकड़े एकत्र करना है।

(घ) सांख्यिकी आंकड़े एकत्र करने तथा उनका प्रसार करने के लिए संगठनात्मक व्यवस्था में सुधार करने के लिए सुझाव देना।

(ङ) अन्य सम्बन्धित आंकड़े मामले।

3. मंत्रालय के शिक्षा विभाग के आयोजना, अनुश्रवण और सांख्यिकी प्रभाग द्वारा स्थाई समिति को सचिवालीय सहायता उपलब्ध की जायेगी।

4. स्थायी शैक्षिक सांख्यिकी समिति को गैर–सरकारी सदस्यों को यात्रा भत्ते/महंगाई भत्ते के भुगतान का व्यय मंत्रालय के शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी नियमों के आधार पर वहन किया जायेगा।

जय राम सिंह
उप शिक्षा सलाहकार

(महिला एवं बाल विकास विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 10 अक्तूबर 1991

संकल्प

सं० 1–19/91–के०स०क० बोर्ड—30 सितम्बर, 1991 के समसंख्यक संकल्प का विस्तार करते हुए इसे निम्न–प्रकार पढ़ा जाए :—

"[अध्यक्ष 1 श्रीमती अमर जीत कौर, दिनांक 30 अगस्त, 1991 के संकल्प संख्या 1–36/90—के० स० क० बोर्ड के अनुसार केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की महासभा (जनरल बाडी) की अध्यक्षा श्रीमती कौर का कार्यकाल 26 नवम्बर, 1991 तक होगा]"।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक–एक प्रति निम्न–लिखित को भेजी जाए :—

1. केसक बोर्ड के सभी सदस्य
2. सभी राज्य सरकारें/संघ शासित प्रदेश।
3. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
4. राष्ट्रपति सचिवालय
5. प्रधानमंत्री का कार्यालय
6 योजना आयोग
7. लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय
8 मंत्रिमंडल सचिवालय
9. पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली
10. लेखा–परीक्षा निदेशक, केन्द्रीय राजस्व, नई दिल्ली।
11. कम्पनी कार्य विभाग, नई दिल्ली
12. कम्पनी रजिस्ट्रार, नई दिल्ली
13. क्षेत्रीय निदेशक, कम्पनी कानून बोर्ड, कानपुर।
14. कार्यकारी निदेशक, केसक बोर्ड।
15. सभी राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्डों के अध्यक्ष।
16. सभी राज्यों के राज्यपाल/संघ शासित प्रदेश]

यह भी आदेश दिया जाता है कि जन–साधारण की सूचना के लिए यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

प्रमोद किशोर
उप सचिव

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 26 सितम्बर 1991

संकल्प

सं० ई०आर०बी०–1/91/21/1—रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) ने निश्चय किया है कि इस मंत्रालय के 27–3–91 के समसंख्यक संकल्प द्वारा यात्री सुख–सुविधा समिति के सदस्यों के रूप में मनोनीत सर्वश्री राम धारी शास्त्री तथा विनोद चन्दर दुबे तत्काल प्रभाव से समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करना बन्द कर दें।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि सामान्य सूचना के लिए संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

मसीहुज्जमा,
सचिव, रेलवे बोर्ड

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 22nd October 1991

No. 112-Pres/91.—The President is pleased to award Fire Service Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Central Industrial Security Force :—

Name and Rank of the Officers

Shri A. N. P. Singh, Head Constable (*Posthumous*)

Shri A. P. Sabu, Head Constable/Driver (*Posthumous*)

Shri J. A. Dattu, Constable (*Posthumous*)

Shri Z. B. Singh Constable (*Posthumous*)

Shri W. T. Chaware, Constable (*Posthumous*)

Shri Pushpender Singh, Constable (*Posthumous*)

Shri P. K. Nayak, Constable (*Posthumous*)

Shri Panchanan Behera, Constable (*Posthumous*)

Shri R. S. Yadav, Constable (*Posthumous*)

Shri Dalip Singh Thakur, Sub-Inspector

Shri J. K. Bolia, Sub-Inspector

Shri K. R. Bhal, Constable.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 5th November, 1990 at about 1900 hours the gas cracker plant at the Central Industrial Security Force Unit, MGCC, Nagothane was surrounded with a gas cloud of highly inflammable hydrocarbon gas resulting in violent explosion followed by a devastating fire which covered the entire gas cracker plant. The act of gallantry exhibited by the above mentioned officials is mentioned below :—

Shri A. N. P. Singh Head Constable

On the day of incident Head Constable A. N. P. Singh was detailed for 'B' shift duty at the above mentioned Central Industrial Security Force Unit. At about 1906 hours he found a fire tender of his unit moving towards the gas cracker plant. Sensing trouble he rushed to the spot. On reaching the site he found a cloud of highly inflammable gas enveloped the entire area. Undaunted to the hazards Head Constable A. N. P. Singh was able to reach the fire crew who was trying to energise the fire tender to combat the gas leak and also attempted to repair ruptured fight from where the inflammable gas was leaking. As he attempted to contain the accident, the whole area was subjected to a violent explosion followed by devastating fire. Head Constable A. N. P. Singh stood his post enveloped completely in the fire and laid down his life. This supreme sacrifice and extra ordinary courage set an example of the highest order for dedication to duty.

Shri A. P. Sabu, Head Constable/Driver

Head Constable A. P. Sabu was deputed for 'B' shift duty on the day of incident. At about 1906 hours he found a fire tender moving towards the gas cracker plant. Sensing trouble he rushed to the spot he found the gas cracker plant surrounded with a gas cloud of highly inflammable of hydro carbon Undauntedly Head Constable A. P. Sabu joined the other fire crew members in trying to isolate the leakage in a pipe. Suddenly an extremely violent explosion occurred at the same spot followed by a devastating fire which covered the entire cracker plant. Head Constable A. P. Sabu was enveloped entirely in the flames and died on the spot lying down his life while undertaking his duties.

Shri J. A. Dattu, Constable

On the day of incident Constable J. A. Dattu was put on 'B' shift duty in the Central Industrial Security Force Unit. At about 1906 hours he noticed a fire tender of his unit rushing towards the gas cracker plant. Sensing an emergency he ran toward the gas cracker plant. Arriving at the spot he noticed a cloud of highly inflammable hydro carbon gas that enveloped the entire area and gas was escaping from a ruptured pipe. While he was in the process of undertaking the rescue operation along with his colleagues, a violent explosion occurred followed by devastating fire which engulfed the entire area. Constable J. A. Dattu was burnt to death while manning his duty. The dedication to duty shown by Constable J. A. Dattu resulted in saving countless lives in the industrial plant.

Shri Z. B. Singh, Constable

On the day of incident Constable Z. B. Singh was detailed for 'B' shift duty at the Central Industrial Security Force Fire Station. Around 1905 hours he received information of gas leak near the gas cracker plant. He got on to the fire tender and rushed to the scene. On reaching the site he began to undertake the drill for combating the gas leak. Suddenly there was a big explosion followed by a huge fire which engulfed the entire area. Constable Z. B. Singh was burnt to death in this fire. In lying down his life in supreme sacrifice he saved hundreds of lives in the industrial plant.

Shri W. T. Chaware, Constable

On the date of incident Constable W. T. Chaware was assigned 'B' shift duty at the Fire Station of Central Industrial Security Force Unit. At about 1905 hours receiving information of a gas leak, Constable W. T. Chaware took post on the fire tender which was ordered to move to the gas cracker plant On arriving at the spot he found the entire area enveloped in a cloud of highly inflammable gas. Constable Chaware began to commission the fire tender to contain the gas leak from one of the ruptured parts of the plant. Undauntedly Constable Chaware began emergency drill unmindful of the danger when suddenly there was a violent explosion

followed by devastating fire in the area. Constable Chaware was burnt to death in the flames of fire while he was manning his post. Constable Chaware in his supreme sacrifice exhibited gallant action and high sense of devotion to duty.

Shri Pushpender Singh, Constable

Constable Pushpender Singh was detailed for 'B' shift duty at the Central Industrial Security Force Unit Fire Station on the date of incident. At about 1905 hours the Control Room received information of a gas leak and Constable Pushpender Singh along with the fire crew rushed to the gas cracker plant with the fire tender. On reaching the spot he found the area enveloped in a cloud of highly inflammable gas. Unmindful of the extreme danger he began to commission the fire tender. Suddenly there was a loud explosion followed by devastating fire. Constable Pushpender Singh was burnt to death while performing his duties. His attempt to close the gas leak helped in preventing a major industrial catastrophe and saved lives of persons working in the plant. In his supreme sacrifice Constable Pushpender Singh showed a florious tradition of dedication to duty.

Shri P. K. Nayak, Constable

Constable P. K. Nayak was detailed for 'B' shift duty in the Central Industrial Security Force Unit on the date of incident. At about 1906 hours he saw the fire tender of the CISF moving towards the gas cracker plant. Sensing emergency he rushed in that direction. On arriving at the site he joined hands with the fire crew in undertaking operation, a violent explosion occurred followed by a devastating fire. Constable Nayak was burnt to death immediately. He laid down his life in attempting to control a major desaster which could have resulted in the death of hundreds of employees of the plant.

Shri Panchanan Behera, Constable

Constable Panchanan Behera was detailed for 'B' shift duty in the Central Industrial Security Force Unit on the date of incident. At about 1906 hours he saw the fire tender of the CISF Unit moving into the gas cracker plant. Sensing emergency he rushed to the spot where the fire crew had announced emergency operation. He found the entire area enveloped in a cloud of highly inflammable gas. Fully aware of the risk involved he joined hands with the fire crew to bring the escaping gas under control. At that time a violent explosion occurred followed by devastating fire which engulfed the entire area. Constable Panchanan Behera was burnt to death while manning his post. The extraordinary courage exhibited by him and the extreme dedication to duty has made Constable Behera an example of tradition to be followed as an ideal.

Shri R. S. Yadav, Constable

Constable R. S. Yadav was posted on duty at the Fire Station of the Central Industrial Security Force Unit on the date of incident. At about 1905 hours information was received in the Control Room of the Fire Station of a gas leak in the gas cracker plant. Constable Yadav joined his group and took the fire tender to the site of the incident. On reaching the site he noticed a cloud of highly inflammable gas surrounding the area. Unmindful of the extreme danger Constable Yadav joined his colleagues in commissioning the fire tender. During this emergency operation a violent explosion occurred followed by devastating fire which engulfed the entire area. Constable R. S. Yadav was burnt to death while manning his assigned duty. Constable Yadav sacrificed his life while undertaking rescue operation and thus displayed the highest sense of devotion to duty.

Shri Dalip Singh Thakur and Shri J. K. Bolia, Sub-Inspectors

Shri Dalip Singh Thakur and Shri J. K. Bolia, Sub-Inspectors were on duty at the Control Room of the Central Industrial Security Force Unit on the date of incident. Around 1906 hours both of them heard a loud explosion from the plant side and when they came out of the building, they saw a ball of fire rising out of the area of the gas cracker plant. Sensing emergency they called for a general alert asking the colleagues to rush for duty. Both of them organised the CISF staff on duty to combat the flames. While they were on the job they suddenly noticed flames of fire emerging from the top of the ethylene storage tank. The two officers pulled out the protective clothing from the store of the fire tender and ran towards the ethylene storage tank. They ran up the ladder of the tank attempting to reach the flames were in fact debris which had been thrown on the tank following violent explosion. Completely unmindful of own safety both of them reached the flaming debris and pulled the debris away from the top of the tank and finally from the site. The act of Shri D. S. Thakur and Shri J. K. Bolia in taking risk involved certain deaths if the explosion had taken place on the tank. This was an act of calculated bravery and dedication to duty. The officers showed presence of mind in hazardous condition and saved hundreds of lives by single act of courage.

Shri K. R. Bhai, Constable

Shri K. R. Bhai was on duty in the Control Room of Central Industrial Security Force Unit on the date of incident when information was received at 1905 hours regarding gas leak in the gas cracker plant. On receiving the information Constable K. R. Bhai moved the fire tender along with his fire crew and reached the scene of incident. Unmindful of the dagner he went about the emergency operation coordinating with his colleagues and tried to tackle the gas leak. Suddenly there was a loud explosion followed by a devastating fire which engulfed the entire area. The explosion threw Shri K. R. Bhai shaken by the explosion again got up to move into the same area to combat the catastrophe but fell down unconscious. Constable K. R. Bhai showed exemplary courage and determination exhibiting a rare dedication to duty under extremely hazardous condition of work.

These awards are made for gallantry under Rule 3(i) of the rules governing the award of Fire Service Medal for gallantry and consequently carry with them the special allowance admissible under Rule 5 (a) of the rules with effect from the 5th November, 1990.

A. K. UPADHYAY, *Director*

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 9th October 1991

RESOLUTION

No 6/1/91-VEPZ.—The Government of India have decided to set up a Committee to examine an alternative model for development of Export Processing Zones.

2. *Constitution* :

The Committee will consist of :—

Chairman

1. V. Krishnamurthy, Member Planning Commission.

Members

2. Chairman, EXIM Bank
3. Dr. Rajiv Kumar, Senior Consultant, BICP.
4. Shri S. M. Dutta, Chairman, Hindustan Lever.
5. A representative of FICCI.
6. A representative of ASSOCHAM.
7. A representative of the Confederation of Engineering Industry.
8. Shri Prem Kumar, Development Commissioner, Santa Cruz, Electronics Export Processing Zone, Bombay

Member Secretary

9. Shri J. S Gill, Joint Secretary, Ministry of Commerce.

3. *Function* :

The function of the Committee will be to examine and propose an alternative model for the development of Export Processing Zones.

4. *Tenure* :

The tenure of the Committee will be 3 months from the date of issue of the Resolution.

5. *General* :

The Committee may co-opt additional Members and invite experts to attend its meetings or appoint Sub-Committees as may be deemed necessary.

6. *Travelling and Other Allowances* :

The non-official Members will be paid travelling and daily allowances for attending the meetings of the Committee by the Ministry of Commerce at the rates fixed by the Government of India from time to time.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to Cabinet Secretariat, President's Secretariat, Prime Minister's Office, Planning Commission and Comptroller & Auditor General of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

JAWHAR SIRCAR, Director

(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT)

(DIRECTORATE GENERAL OF TECHNICAL DEVELOPMENT)

New Delhi, the 11th October 1991

RESOLUTION

No. CP/9/1/90.—Government of India have decided to renew the tenure of Development Panel for Carbon and Graphite Products Industries as reconstituted by Resolution No. CP/9(7)/86/DP dt 6th June 89 for a period of two years from the date of issue of this Resolution with the following composition :

Chairman

1 Shri G. A. Maniar,
M/s. Graphite India Ltd.,
31, Chowringhee Road,
Calcutta-700 016.

Members

2. Shri N. G. Basak,
Industrial Adviser, Incharge,
D.G.T.D, New Delhi.

3. Shri P. C Goenka,
M/s. Indian Aluminium Company Ltd,
6, Middleton Street,
Calcutta-700 071.

4 Shri K. Ramachandran,
M/s. Indian Aluminium Company Limited,
6, Middleton Street,
Calcutta-700 071

5. Shri C P. Joshi,
M/s Indian Oil Corporation Ltd.,
252, Dr. Annie Besant Road,
Prabha Devi, Bombay-400 025.

6. Shri R. G. Ramgharia,
M/s. Petro Carbon & Chemicals Co Ltd.,
27, R. N Mukherjee Road,
Calcutta-700 071.

7. Shri Obul Reddy,
M/s Indo Matsushita Carbon Company Ltd.,
609, Mount Road,
Madras-600 006.

8. Shri O S Chowdhuri,
M/s. Hindustan Aluminium Corporation Ltd,
P.O. Renukoot, Mirzapur (U.P).

9 Shri Raj Kumar,
DC (SSI), Nirman Bhavan,
New Delhi.

10. Shri M. V. S Prakasa Rao,
Secretary,
All India Graphite Crucibles Manufacturer's Association, Rajahmundry (A.P.).

11 Shri Keshava Chandra, Head,
Phosphorous Section Ch. ED.
Bhabha Atomic Research Centre,
Bombay-88.

12. Shri R. L Seth/Dr O. P. Bahl,
Carbon Technology Unit,
Dr. K. S. Krishna Road,
New Delhi-110012.

13. Shri Ravi Jhunjhunwala,
M/s. Hindustan Electro-Graphite Ltd.,
40-41, Community Centre,
New Friends Colony,
New Delhi-110 056.

14. Shri R Himatsingka,
M/s India Carbon Ltd,
Temple Chambers,
6, Old Port Office Street,
Calcutta-700001.

15. Shri J. J Dalal,
M/s Diamant Carbon & Graphite Products Ltd.,
64, Shahid Bhagat Singh Road, Fort,
Bombay-400 023.

16. Shri E N Murthy,
Ministry of Industry (Electrical Industry Section),
Udyog Bhavan, New Delhi.

17. Shri W. M. Dosouza,
President,
Goa Carbon Ltd,
Dempo House, Campel,
Panjim, Goa-403 001.

18. Shri N. Venkataramani,
Vice-President (Commercial),
Carbon Corporation Ltd.,
Bakhtawar, 2nd Floor,
Nariman Point, Bombay-400 021.

19. Shri P. K Jana,
Executive Director,
Chemical & Allied Products Export
Promotion Council,
World Trade Centre,
14/1 B, Ezra Street,
Calcutta-700 001.

20. Shri C K. Dhar,
Chief (Marketing),
2, Fairlie Place,
Calcutta-700 001.

21. Dr. D. M. Bhatt, Scientist 'E',
Representative from
Central Fuel Research Institute,
P. O. F. R 1-828108,
Dhanbad-Bihar.

Member-Secretary

22. Shri P K. Jain,
Development Officer,
D.G.T.D. New Delhi.

The terms of reference of the Panel may be as under :—

1. To consider the present state of development of the industry and to recommend measures for its accelerated growth

2. To study the state-wise/region-wise requirement of various items of the industry and make suggestions for creation of further capacities to meet the growing needs

3. Forecasting of future technological needs including upgradation of technology and quality of products.

4. To augment research and development facilities in the field available in various institutions

5. To examine the extent to which standardisation has been achieved and evolve specific programmes for further standardisation in consultation with the SSI.

6. To consider the requirement of machinery etc. both indigenous and imported.

7. To consider the requirements of raw materials and energy inputs including their conservation/substitution.

8. Modernisation of existing units.

9. Import substitution/export promotion.

10. Technical manpower requirements and their training.

11. To review the pollution measures adopted in the industry at work places and environment.

12. Any other relevant matter.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned. Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

MADAN MOHAN, Director (Admn.)

DEPARTMENT OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH

New Delhi-1, the 4th October 1991

No. 1/9/89-CTE.—Further to Notification No. 1/9/89-CTE, dated 28th August, 1990, it is notified for general information that for the purposes of the Societies Registration Act (XXI of 1860), the name of Shri Suresh Mathur, Secretary, Department of Industrial Development, New Delhi has been included as an Ex-Officio Member on the CSIR society for the remaining term of three years i.e. upto 19-8-1993.

S. K. JOSHI, Secy.
Department of Scientific & Industrial Research
and Director General
Council of Scientific & Industrial Research

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF EDUCATION)

New Delhi-110001, the 14th October 1991

No. F. 10-6/91-Stat.—The Government of India hereby reconstitutes the Standing Committee on Educational Statistics with effect from 1st January, 1991 with the following composition for a period of one year.

Chairman

1 Joint Secretary (Planning),
Department of Education,
Ministry of Human Resource Development.

Members

2. Joint Secretary (University),
Department of Education,
Ministry of Human Resource Development.

3. Joint Secretary (School),
Department of Education,
Ministry of Human Resource Development.

4. Joint Educational Adviser (EE),
Department of Education,
Ministry of Human Resource Development.

5. Joint Secretary (AE),
Department of Education,
Ministry of Human Resource Development.

6. Director,
NIEPA, 17 B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi.

7. Secretary,
University Grants Commission,
New Delhi.

8. Adviser (Research),
Institute of Applied Manpower Research.

9. Education Secretary,
Government of Assam.

10. Education Secretary,
Government of Karnataka.

11. Education Secretary,
Government of Punjab.

12. Representative,
Planning Commission.

13. Deputy Educational Adviser (Planning),
Department of Education,
Ministry of Human Resource Development.

14. Director (Technical),
Department of Education,
Ministry of Human Resource Development.

15. Joint Director,
N.C.E.R.T.,
Sri Aurobindo Marg, New Delhi.

16. Professor & Head of Survey &
Data Processing Unit,
N.C.E.R.T., Sri Aurobindo Marg,
New Delhi.

17. Joint Director,
Central Statistical Organisation.

18. Dr. Bramh Prakash,
Senior Fellow,
N.I.E.P.A., 17 B,
Aurobindo Marg, New Delhi.

19. Additional Director,
National Informatics Centre.

20. Director of Education (School),
Government of Uttar Pradesh.

21. Director of Education,
Government of Tamil Nadu.

22. Director of Education (School),
Gujarat.

Non-Official Members

23. Prof. P. K. Bose,
Director,
Institute for Development of
Resource Personnel, University
College of Sciences, Calcutta.

24. Dr. M. B. Buch,
Chief Editor, Fourth Survey of
Research in Education,
46, Hari Nagar, Gotri Road, Baroda.

25. Dr. M. K. Premi,
Professor,
Centre for the study of Regional
Development,
Jawaharlal Nehru University,
New Delhi.

Member-Secretary

26. Deputy Director (Statistics),
Department of Education,
Ministry of Human Resource Development.

2. The functions of the reconstituted Standing Committee will as under :—

(a) To review the Progress of collection of Educational Statistics by the Ministry periodically and suggest the ways and means to reduce the time lag in the collection and publication of Educational Statistics.

(b) To suggest and to approve the topics and methodologies for the theme-oriented studies and periodical studies to be undertaken by the Ministry.

(c) To suggest the list of items on which collection should be done on periodical basis.

(d) To make suggestions for improving the organisational arrangements for collection and dissemination of Educational data.

(e) Any other related matter.

3. Secretarial assistance to the Standing Committee will be provided by Planning, Monitoring & Statistics Division of the Department of Education of the Ministry.

4. The expenditure towards the payment of TA/DA to the Non-official members of the Standing Committee on Educational Statistics will be met by the Department of Education of the Ministry as per Government rules.

JAI RAM SINGH, Dy. Education Adviser

(DEPARTMENT OF WOMEN & CHILD DEVELOPMENT)

New Delhi, the 10th October 1991

RESOLUTION

F. No. 1-13/91-CSWB.—In amplification of the Resolution of even number dated the 30th September, 1991, the following may be read as :

"I. *Chairperson* 1. Smt. Amarjit Kaur (The term of Smt. Kaur as Chairperson of the General Body of the Central Social Welfare Board will be upto 28th November, 1991 in terms of Resolution No. 1-36/90-CSWB dated, the 30th August, 1991)".

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to :

1. All Members of the Central Social Welfare Board.
2. All the State Governments/Union Territories.
3. All the Ministries/Departments of the Government of India.
4. President's Secretariat.
5. Prime Minister's Office.
6. Planning Commission.
7. Lok Sabha Secretariat/Rajya Sabha Secretariat.

8. Cabinet Secretariat.

9. Press Information Bureau, New Delhi.

10. The Director of Audit, Central Revenues, New Delhi.

11. Department of Company Affairs, New Delhi.

12. Registrar of Companies, New Delhi.

13. Regional Director, Company Law Board, Kanpur.

14. Executive Director, Central Social Welfare Board.

15. All Chairmen, State Social Welfare Advisory Boards.

16. Governors of all States/Union Territories.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

RAJESH KISHORE, Dy. Secy.

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 26th September 1991

RESOLUTION

No. ERB-I/91/21/1.—Ministry of Railways (Railway Board) have decided that S/Shri Ram Dhari Shastri and Vinod Chander Dubey, nominated as Members of the Passenger Amenities Committee vide this Ministry's Resolution of even number dated 27-3-91, shall cease to function as Members of the Committee with immediate effect.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

MASIHUZZAMAN, Secy.,
Railway Board

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1991
Printed by the Manager, Govt. of India Press, Faridabad & Published by the Controller of Publications, Delhi, 1991.